हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नि0–III)

संख्याः पीईआर (एपी)–सी–ए (3)–1/2010–II. तारीख शिमला–2, 20अगस्त, 2011.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सांख्यिकी सहायक, वर्ग–III, (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं पद के लिए इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबन्ध–"I" के अनुसार सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना।	1.	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, **सांख्यिकी सहायक**, वर्ग–III, (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।
		(2)	ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
		(3)	ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों के लिए लागू होंगे : परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय–समय पर जारी **सांख्यिकी सहायक** के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमों में उपबंधित सीधी भर्ती की पद्धति प्रवृत नहीं रहेगी : परन्तु यह और कि ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियां	2.	(1)	इस विभाग की अधिसूचना संख्या : पी0ई0आर0 (ए0पी0–सी0) ए (3)–2/99 तारीख 13 अप्रैल, 2007 द्वारा अधिसूचित कार्मिक विभाग(नियुक्ति–III) लिपिक/आशुटंकक/सांख्यिकी सहायक वर्ग– III (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का एतद द्वारा उस विस्तार तक, निरसन किया जाता है जहां तक कि ये सांख्यिकी सहायक के पद से संबंधित हैं,
		(2)	ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः पीईआर (एपी)–सी–ए (3)–1/2010–II तारीख शिमला–2, 20अगस्त, 2011

–2–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
2. सभी मण्डलायुक्त हिमाचल प्रदेश।
3. सभी विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
4. सभी उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
5. सचिव, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग को उनके पत्र संख्या 6–1/92–पीएससी–पार्ट, दिनांक 23 जून, 2011के सन्दर्भ में।
6. सचिव, हि0प्र0 अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर।
7. संयुक्त विधि सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
8. 250 अतिरिक्त प्रतियां।

अवर सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

*****

(153)

उपाबन्ध–"I"

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सांख्यिकी सहायक, के पद के लिए सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नाम	सांख्यिकी सहायक
2	पदों की संख्या	जैसी सम्बद्ध विभागों में सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर की गई है और मंजूर की जाए।
3	वर्गीकरण	वर्ग–III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं।
4	वेतनमान	I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः ₹10300–34800/– +3800 ग्रेड पे0। II) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां: ₹14100/– स्तम्भ संख्या 15–क मे दिए गए ब्यौरे के अनुसार।
5	चयन अथवा अचयन	अचयन पद ।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु	18 वर्ष से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गो के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर, निगमो तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/ स्वायत निकायो में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नही दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए है और उन पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों के

प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों/ स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है / किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमे पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों कि दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किए जा सकेंगे।

7	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**क) अनिवार्य अर्हताः** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र / गणित/ सांख्यिकी किसी एक विषय सहित वाणिज्य स्नातक या विज्ञान स्नातक/कला स्नातक या इसके समतुल्य। **ख) वांछनीय अर्हताः** i) सांख्यिकीय आंकडों के संग्रहण और संकलन करने के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। ii) उपरोक्त विषयों में से किसी एक में उच्चतर अर्हताएं । iii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं ?	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हाँ, जैसे कि उपरोक्त स्तंभ संख्या 7 में विहित है।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा

		सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा व ऐसा न होने पर, यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15- क में दी गई उपलब्धियों को प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होगा।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति , स्थानान्तरण की दशा में श्रेणिया (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति , प्रतिनियुक्ति , स्थानान्तरण किया जाएगा।	अन्वेषकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सम्बद्ध विभागों के लिपिक/कनिष्ठ सहायकों के सामान्य लिपिक संवर्ग वर्ग में से जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जन जातीय /दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी : परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो: परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को, जिन्होने जन. जातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I : उपयुर्क्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जन जातीय / दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणत तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओ और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II : उपर्युक्त (1) परन्तुक के प्रयोजन के लिए जन जातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठ्वाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथौंग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर

नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/ काडर में उनसे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो होगी:

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएगे।

स्पष्टीकरण :- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोब्लिाईण्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1972 के नियम 3

के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया है और इनके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हो या जि‍न्हें एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया हो और इनके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हो।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पदपर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

2 यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः	जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
सीधी भर्ती द्वारा पद र नियुक्ति के लिए	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

चयनः यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15 संविदा नियुक्ति द्वारा -क पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनो और शर्तो के अध्यधीन की जाएगी ।

1) <u>संकल्पना</u>

(क) इस पॉलिसी के अधीन -------- (विभाग का नाम) में सांख्यिकी सहायक संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि मे विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाः-

विभागाध्यक्ष रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बन्द्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा ।

<u>(II) संविदात्मक उपलब्धियां :</u>

संविदा के आधार पर नियुक्त सांख्यिकी सहायक को 14100/- रुपए (जो पे बैंड के

सहायक को 14100/- रूपए (जो पे बैंड के न्यूनतम+ग्रेड पे के बराबर) की समेकित संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष / वर्षो के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹430/-(पद के पे बेंड के न्यूनतम+ ग्रेड पे का 3%)वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/ अनुशासन प्राधिकारी

सम्बद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकियां

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा स्तर/ पाठ्यक्रम इत्यादि सबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध - "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें

(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 14100/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए

₹430/-(पद के पे बेंड के न्यूनतम+ ग्रे पे का 3%)की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे की वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य /आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक , अस्थायी तोर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/

अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ. आर0 एस. आर, छुट्टी नियम साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगें। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होगे।

16 आरक्षण : सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातीयों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17 विभागीय परीक्षा : लागू नहीं।

18 शिथिल करने की शक्ति : जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।